

कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा जिला-बेमेतरा छत्तीसगढ़

संयुक्त जिला कार्यालय बेमेतरा 491335

ई मेल - mo-bemetara@gov.in

क्रमांक 608/खनि.लिपि/रेत खदान/2019

बेमेतरा दिनांक 20/8/19

Event No. - BEMETARA-01-20.08.2019

निविदा आमंत्रण सूचना

गौण खनिज साधारण रेत का उत्खनन पट्टा के आबंटन की नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) प्रपत्र

सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह प्रकाशित किया जाता है कि कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला बेमेतरा द्वारा छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम, 2019 के नियम-6 के तहत नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) के माध्यम से रेत खदान समूहों के अन्तर्गत रेत उत्खनन पट्टा आबंटन किया जाना है, जिस हेतु अर्हता प्राप्त बोलीदार नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) में भाग ले सकता है।

नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) हेतु बोली, दिनांक 10.09.2019 से 16.09.2019 (07 दिवस) तक जमा की जाएगी। बोली केवल बंद लिफाफा के माध्यम से संबंधित जिला कार्यालय में स्वीकार की जाएगी।

उत्खनन पट्टा आबंटन हेतु प्रस्तावित समूहों की जानकारी :-

जिले का नाम - बेमेतरा

क्र.	खदान समूह का नाम	तहसील	खदान कोड/ग्राम/ग्राम पंचायत	रकबा (हेक्टेयर में)	ख.नं.	निविदा प्रक्रिया शुल्क (राशि रू. में)	उच्चतम निर्धारित मूल्य (सीलिंग प्राईस) (राशि रू. में)	बोली प्रतिभूति (बिड सिक्यूरिटी) (राशि रू. में)	कार्यपालन प्रतिभूति (परफॉरमेंस सिक्यूरिटी) (राशि रू. में)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.	9.	10.	11.
1	Bemetara-A	बेरला	A-1/ ताकम	5.00 हे.	01	10000/-	104 रू. प्रति घन मीटर	1. 100000 (परफारमेस सिक्योरिटी का 20 प्रतिशत) या 200000 (60 प्रतिशत से कम बोली लगने पर प्रतिभूति राशि का दुगुना प्रतिभूति)	500000/-

1.0 महत्वपूर्ण

- 1.1 बोली लगाने वाला प्रत्येक व्यक्ति बोली लगाने के पूर्व रेत खदान की भौगोलिक स्थिति, खनिज की उपलब्धता और गुणवत्ता, पहुंच मार्ग (निजी भूमि होने की स्थिति में) आदि के बारे में पूर्ण रूप से स्वयं को आश्वस्त कर लें। इस संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति/शिकायतें नीलामी के किसी भी चरण में स्वीकार नहीं की जायेगी।
- 1.2 प्रत्येक समूह के लिये पृथक-पृथक बोली प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। नीलामी में प्रस्तुत बोली में समूह विशेष के नाम का उल्लेख नहीं होने की दशा में या एक ही बोली प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में प्रस्तुत बोली प्रथम समूह के लिए ही मान्य की जावेगी तथा इस पर किसी भी प्रकार की दावा-आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगा।

- 1.3 नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) से उत्खनन पट्टा प्राप्ति से संबंधित दस्तावेज एवं अन्य सुसंगत जानकारी जिला कार्यालय, खनि शाखा से किसी भी कार्य दिवस में कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकेगी।

2.0 बोली प्रतिभूति एवं कार्यपालन प्रतिभूति :-

- 2.1 बोली प्रतिभूति एवं कार्यपालन प्रतिभूति छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम, 2019 के तहत प्रस्तुत किया जाना होगा अन्यथा नहीं।
- 2.2 उच्चतम निर्धारित मूल्य से 60 प्रतिशत से कम की बोली लगाने की स्थिति में नीलामी के लिए निर्धारित बोली प्रतिभूति (Bid Security) से दोगुना राशि बोली प्रतिभूति के रूप में जमा करनी होगी।
- 2.3 कंडिका 2.2 के तहत 60 प्रतिशत से कम की बोली लगाने की स्थिति में दुगुनी राशि बोली प्रतिभूति के रूप में जमा न पाये जाने पर बोली अपूर्ण एवं निरस्त माना जाएगा।
- 2.4 उच्चतम निर्धारित मूल्य से किसी भी स्थिति में 50 प्रतिशत के नीचे बोली नहीं लगाई जा सकेगी।
- 2.5 उच्चतम निर्धारित मूल्य के 50 प्रतिशत से कम बोली प्रस्तुत करने पर उक्त बोली स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
- 2.6 राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ गौण खनिज रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम, 2019 के नियम 9(र) के अंतर्गत जारी निर्देश के अनुसार "जिले में, एक व्यक्ति/फर्म/कंपनी द्वारा अधिकतम किसी एक रेत खदान समूह हेतु ही बोली स्वीकार्य की जायेगी। प्रदेश में एक व्यक्ति/फर्म/कंपनी द्वारा प्रस्तुत बोलियों में से अधिकतम 05 खदान समूहों के लिये ही बोली स्वीकार की जायेगी। इस हेतु उक्त व्यक्ति/फर्म/कंपनी द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत किया जाना होगा। किसी व्यक्ति/फर्म/कंपनी को जिला स्तर में एक समूह से अधिक एवं प्रदेश स्तर पर 05 से अधिक समूहों में अधिमानी बोलीदार घोषित होने की स्थिति में प्रस्तुत अन्य बोली, स्वमेव निरस्त मानी जायेगी"।

3.0 उत्खनन पट्टा प्रदान करने हेतु पात्रता -

- 3.1 किसी भी व्यक्ति को तब तक साधारण रेत का उत्खनन पट्टा प्रदान नहीं किया जायेगा जब तक कि ऐसा व्यक्ति छत्तीसगढ़ का मूल निवासी न हो या ऐसी कोई कंपनी न हो जो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का सं0 18) की धारा 2 के खण्ड (20) के अधीन यथा परिभाषित है और ऐसी शर्तों को पूरी न करता हो, जो इन नियमों द्वारा विहित है। परन्तु कंपनी होने की स्थिति में उसके तीन चौथाई सदस्य छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- 3.2 नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) प्रक्रिया में भाग लेने संबंधी पात्रता का अवधारण नीलामी में भाग लेने हेतु निर्धारित निबंधनों और शर्तों के अनुसार किया जायेगा और ऐसे मात्र बोलिदारों को तकनीकी अर्हित बोलीदार कहा जाएगा। तकनीकी अर्हता प्राप्त नहीं होने वाले व्यक्ति या कंपनी द्वारा प्रस्तुत बोली स्वमेव निरस्त मानी जाएगी।
- 3.3 अधिमानी बोलिदार का विनिश्चय केवल तकनीकी अर्हित बोलिदारों द्वारा प्रस्तुत की गई वित्तीय बोलियों के आधार पर किया जायेगा।

4.0 नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) -

- 4.1 नीलामी, पारदर्शी पद्धतियों के अनुपालन संबंधी राज्य शासन एवं संचालक द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) की प्रक्रिया पूर्ण किया जायेगा।

- 4.2 बोली प्रस्तुत करने हेतु अर्हित दस्तावेज एवं उद्धृत बोली, बंद लिफाफा में अलग-अलग जमा किया जाना होगा। प्रथम लिफाफा में एन.आई.टी. में उल्लेखित अर्हित दस्तावेज रहेगा। द्वितीय लिफाफा में वित्तीय बोली रहेगी जिसे प्रथम लिफाफा के भीतर ही डाल कर प्रस्तुत किया जायेगा।


5.0 बोली लगाने के मानक –

- 5.1 जिला स्तरीय समिति द्वारा एक निश्चित कीमत निर्धारित करेगा, जिसे उच्चतम निर्धारित मूल्य (Ceiling Price) कहा जाएगा। यह राशि निकास किये जाने वाले खनिज के लिए प्रति घन मीटर मानक इकाई होगी।
- 5.2 बोलीदार द्वारा नीलामी राशि के रूप में राज्य सरकार को भुगतान करने के प्रयोजन के लिए, पट्टा क्षेत्र से निकास किये जाने वाले खनिज हेतु नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) के लिए निर्धारित रूपए प्रति घन मीटर उच्चतम निर्धारित मूल्य (Ceiling Price) से कम राशि उद्धृत की जाएगी।
- 5.3 नीलामी (रिवर्स आक्शन) हेतु बोली लगाने के लिये राशि का मानक ईकाई रुपये में होगा।
- 5.4 नीलामी राशि, प्रेषित किये गये प्रति घन मीटर खनिज की मात्रा पर राज्य शासन को देय होगी।

6.0 बोली लगाने की प्रक्रिया –

- 6.1 निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी), बोली लगाने की प्रक्रिया आरंभ होने की तिथि से 21 दिवस पूर्व जिले के वेबसाइट/प्रादेशिक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन तथा जिला कार्यालय (खनिज शाखा), संबंधित ग्राम/जनपद/जिला पंचायत भवन के सूचना पटल पर प्रदर्शित होगी। जो निःशुल्क अवलोकनार्थ होगा।
- 6.2 उत्खननपट्टा की नीलामी में भाग लेने के लिये, आवेदक को छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम, 2019 के नियम 6 में यथा विनिर्दिष्ट सभी अपेक्षाओं को पूर्ण करना होगा। इस बाबत बोलीदार को नीलामी में निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप आधार कार्ड/पैन/जीएसटीएन/छत्तीसगढ़ का मूल निवासी प्रमाण पत्र; यथास्थिति व्यक्तिगत अथवा फर्म, एसोसिएशन अथवा कंपनी के संबंध में द्वै तथा सौ रुपये मूल्य के स्टाम्प पेपर में निर्धारित शपथ पत्र, बंद लिफाफे में प्रस्तुत करना होगा।
- 6.3 संभावित बोलीदारों को नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) के दस्तावेजों के अध्ययन हेतु आमंत्रण सूचना के प्रकाशन के पश्चात् 21 दिन की कालावधि प्रदान की जाएगी। जिसके पश्चात् बोली लगाने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी।
- 6.4 वह बोलीदार जो इस एनआईटी के कंडिका क्रमांक 2.2 से 2.5 में उल्लेखित प्रावधान के अनुरूप सिलिंग प्राइज से न्यूनतम बोली प्रस्तुत करने पर अधिमानी बोलीदार के रूप में घोषित किया जाएगा।
- 6.5 दो या अधिक तकनीकी रूप से अर्हित बोलीदारों द्वारा प्रस्तुत समरूप बोली की दशा में उनके बीच लॉटरी पद्धति अनुसार अधिमानी बोलीदार का चयन किया जाएगा।
- 6.6 यदि नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) में एक ही वैध बोली प्राप्त होती है तो बोली के लिए नियत तिथि में अतिरिक्त सात दिवस की वृद्धि का अधिकार सक्षम प्राधिकारी को होगा और यदि पुनः एक ही बोली प्राप्त होती है तो उसे स्वीकार करने का अधिकार सक्षम प्राधिकारी को होगा।
- 6.7 लिखित में कारण अंकित करते हुए बोली को किसी भी चरण में निरस्त करने का अधिकार कलेक्टर को होगा।

- 6.8 बोलीदार नीलामी हेतु अंतिम तिथि (बिड ड्यू डेट) तक अपनी पूर्व में प्रस्तुत की गई बोली में किसी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकेगा।
- 6.9 जिला कार्यालय द्वारा न्यूनतम बोली प्रस्तुतकर्ता को लिखित में एवं ई-मेल के माध्यम से अधिमानी बोलीदार (प्रीफर्ड बिडर) घोषित किये जाने की सूचना दिया जायेगा।
- 6.10 अधिमानी बोलीदार घोषणा तिथि के 15 दिवस के भीतर, बोलीदार द्वारा बैंक गारंटी/एफ.डी.आर. के रूप में उपरोक्त दर्शित तालिका के कॉलम क्रमांक 11 अनुसार कार्यपालन प्रतिभूति (परफॉरमेंस सिक्यूरिटी) जमा किया जाना होगा।
- 6.11 अधिमानी बोलीदार द्वारा कंडिका 6.10 के अनुसार निर्धारित समयावधि के भीतर कार्यपालन प्रतिभूति प्रस्तुत किये जाने पर अधिमानी बोलीदार को आशय पत्र जारी किया जायेगा।
- 6.12 अधिमानी बोलीदार को जारी आशय पत्र में उल्लेख अनुसार निर्धारित समयावधि के भीतर शर्तों/दस्तावेजों को पूर्ण करने उपरांत सफल बोलीदार घोषित करते हुये उत्खनिपट्टा स्वीकृत किया जायेगा।
- 6.13 अधिमानी बोलीदार द्वारा निर्धारित अवधि के अंदर कार्यपालन प्रतिभूति जमा नहीं किये जाने पर उसके द्वारा जमा बोली प्रतिभूति जब्त योग्य होगी।
- 6.14 नीलामी प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर विवाद की स्थिति होने पर कलेक्टर द्वारा लिया गया निर्णय ही अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
- 7.0 बोलीदार द्वारा नीलामी हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेज निम्नानुसार है :-
- 7.1 पैनकार्ड/टिन नंबर/जी.एस.टी नंबर
- 7.2 शपथ पत्र (एफिडेविट)
- 7.3 फर्म अथवा कंपनी की स्थिति में शपथकर्ता के पक्ष में विधिवत् Power of Attorney/Authorization letter.
- 7.4 छत्तीसगढ़ मूल निवासी प्रमाण पत्र।
- 7.5 आधार कार्ड (निवास प्रमाणीकरण हेतु)


कलेक्टर
जिला बेमेतरा (छ.ग.)


परिशिष्ट- 'एक'

नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) के लिए समय सारिणी

क्र०	गतिविधियां	समयसीमा
(1)	(2)	(3)
1.	नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) आमंत्रण सूचना (एनआईटी) का वेबसाईट एवं सूचना पटल पर प्रकाशन	20.08.2019
2.	नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) हेतु बोली लगाने की आरंभिक तिथि	10.09.2019
3.	नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) हेतु बोली लगाने की अंतिम तिथि	16.09.2019
4.	नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) खोलने तथा तकनीकी अर्हताधारी बोलीदारों की घोषणा की तिथि	17.09.2019
5.	निविदा खोलने एवं अधिमानी बोलीदार घोषित करने की तिथि	17.09.2019 (अपराह्न 3.00 बजे)
6.	कार्यपालन प्रतिभूति जमा करने की तिथि	01.10.2019
7.	आशय पत्र जारी करने की तिथि	03.10.2019

नोट

1. 20.08.2019 प्रारम्भ तिथि।
2. समय सारिणी सांकेतिक है।
3. कंडिका 3 से 7 संबंधी निर्धारित समय सारिणी, शासकीय अवकाश होने की दशा में निर्धारित कार्य आगामी कार्य दिवस में किया जावेगा।


स्व.नि. अधिकारी
जिला - बेतवा


परिशिष्ट-दो

नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) हेतु चिन्हांकित रेत खदानों का विवरण

1. रेत खदान समूह का नाम - बेमेतरा-ए

(1.2) रेत खदान का नाम - ताकम-1

स.क्र.	विवरण	हाँ/नहीं	सिमांक	
1.	टोपोशीट नंबर -	हाँ	64 G/6, G/10	
2	अक्षांश/देशांश -	हाँ	21° 36' 46.47"N	81° 29' 19.80"E
			21° 36' 48.72"N	81° 29' 20.46"E
			21° 36' 50.99"N	81° 28' 59.11"E
			21° 36' 49.28"N	81° 28' 59.02"E
3.	जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित सीलिंग प्राइज के दस्तावेज	हाँ	संलग्न है	
4.	सीमांकन पंचनामा	हाँ	संलग्न है	
5.	खसरा पांचसाला	हाँ	संलग्न है	
6.	राजस्व नक्शा	हाँ	संलग्न है	
7.	ग्राम पंचायत प्रस्ताव (अधिसूचित क्षेत्रों के लिए)	हाँ	संलग्न है	


अ. अधिकारी
जिला - बेमेतरा